न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी जगदीश प्रसाद गौड़ R.A.S

प्रार्थना पत्र सं 334/2015

दुर्गा (मृतक) उनवान

1. धोली पत्नी स्व दुर्गा
2. मूलचन्द पुत्र स्व दुर्गा
3. हरिनारायण पुत्र स्व दुर्गा
4. अशोक पुत्र स्व० दुर्गा
5. मंगली पुत्री स्व दुर्गा
6. सुमित्रा पुत्री स्व दुर्गा
7. पांची पुत्री स्व दुर्गा

समस्त जाति माली निवासी बालाजी नगर तन मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना

प्रार्थीगण

बनाम

1. कुनण देवी पत्नी रामस्वरूप कटारिया उम्र 40 साल जाति बलाई निवासी वार्ड न० 13 नीमकाथाना
2. फूला पुत्र रूडा 60 साल
3. लिछमण पुत्र रूडा उम्र 50 साल

समस्त जाति हरिजन निवासीगण मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना

4. उप पंजीयन अधिकारी नीमकाथाना
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार
6. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर सीकर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित॥ श्री आनन्दीलाल सैनी एड० - प्रार्थीगण
श्री उमेश खण्डेलवाल एड० - अप्रार्थी 1 ता 3

निर्णय दिनांक 19-4-2018

संक्षेप में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि ख० न० 516/593 रकबा 1.86 हे० तन ग्राम जाटाहाळा पटवार हल्का मांवण्डा कलां तहसील नीमकाथाना में स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थी सं। कुनण देवी के नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज है।

(उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना

उक्त भूमि वर्णित खण्ड सं। प्रार्थना पत्र पर वर्तमान में प्रार्थी का कब्जा काश्त है एवं प्रार्थी आज से 50 वर्ष पहले से अपने पूर्वजों के समय से उक्त भूमि पर काबिज रहते हुए काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के नाम सं 2033 तक गिरदावरी भरी गयी है। प्रार्थी ने भूमि वर्णित खण्ड स। प्रार्थना पत्र मे काफी धन एवं श्रम लगाकर भूमि को काबिल काश्त बनाया है। उक्त भूमि ही प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार की आजिविका का एक मात्र साधन है। वर्तमान मे प्रार्थी ने उक्त भूमि में बाजरा गुंवार की फसल काश्त कर रखी है। उक्त भूमि की खातेदारी पूर्व में भूमि ख०नं० 1161, फूला लिछमण पुत्र रूडा माली, मूला पुत्र छोटू माली के नाम से थी। जो सं 2012 से 2032 तक के रिकार्ड मे थी लेकिन सं 2033 के रिकार्ड में जाति के स्थान पर अपठित लिख दिया फिर आगे जमाबंदी मे अपठित के स्थान पर हरिजन शब्द लिखकर रिकार्ड मे परिवर्तन किया है। उक्त भूमि ख०नं० 1161 के नये नम्बर 516/593 हो गये है। फूला पुत्र रूडा लिछमण पुत्र रूडा हरिजन नाम का कोई व्यक्ति ग्राम मावण्डा कलां में नही है। अप्रार्थी 2 व 3 ने अनुचित रूप से खातेदारी नाम दर्ज होने के आधार पर भूमि को अप्रार्थी सं। को विक्रय कर दिया जिसका नामा० सं 35 दिनांक 5-5-2015 को भरा गया। उक्त नामा० अप्रार्थी सं। ता 3 द्वारा बाला - बाला कार्यवाही करते हुए भरा गया है। जबकि उक्त भूमि से अप्रार्थीगण सं। ता 3 का कोई सम्बन्ध सरोकार किसी प्रकार का नही है। दिनांक 20-8-15 को अप्रार्थी सं। अप्रार्थी सं। ता 3 से मिलकर भूमि वर्णित खण्ड सं। प्रार्थना पत्र पर अन्य दीगर लोगो को लेकर आयी एवं भूमि को विक्रय हेतु प्रस्तावित बताया जिसकी बाबत प्रार्थी को जानकारी होने पर प्रार्थी ने अप्रार्थी। ता 3 को मना किया तो अप्रार्थी सं। ता 3 झगडा फिसाद को आमादा हो गये। अप्रार्थीगण। ता 3 द्वारा अनुचित रूप से भूमि को दीगर अनजान लोगो को विक्रय कर दिये जाने एवं प्रार्थी को जबरन बेदखल कर दिये जाने से प्रार्थी के हितो पर विपरीत प्रभाव पडेगा। अप्रार्थीगण को जरिए स्थायी - निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। भूमि वर्णित खण्ड स। प्रार्थना पत्र को प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से करीब 50 वर्ष पूर्व से लगातार काबिज रहते हुए बिना किसी व्यवधान के अप्रार्थीगण सं। ता 3 की जानकारी मे काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रथम द्रष्टया केस सुविधा सन्तुलन एवं अपूरनीय हानि का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष मे है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तादौराने दावा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि भूमि ख०नं० 516/593 रकबा 1.86 हे० तन ग्राम जाटावाला पटवार हल्का मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना मे प्रार्थी के शांति पूर्ण उपयोग व उपभोग में बाधा एवं व्यवधान पैदा नही करे, ना ही भूमि को दीगर लोगो को विक्रय करे ना ही बैनामा करवायें। मौके एवं रिकार्ड कि यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर

— 3 —

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं जरिये नोटिस - अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण 2 ता 6 कि कोर्ट से कोई उपस्थित नहीं हुआ इसलिए उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं अप्रार्थी सं. 1 जरिये वकील उपस्थित हुआ एवं प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी 2 व 3 ने अपने कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 516/593 रकबा 1.86 है0 ग्राम जायाहाला को विधिवत रूप से अप्रार्थीया नं0 1 को विक्रय कर मौके पर वास्तविक व भौतिक रूप से अप्रार्थी 2 व 3 ने अप्रार्थीया नं0 1 को कब्जा सम्भलाया खरीद के दिन से अप्रार्थीया नं0 1 लगातार अपनी खरीद शुदा भूमि पर काबिज काश्त है। इस प्रकार भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी 2 व 3 के द्वारा जो वादग्रस्त भूमि का विक्रय लेख दिनांक 17.12.14 को उप पंजियन अधिकारी नीमकाथाना के यहां पंजीकृत अप्रार्थीया नं0 1 के हक में कराया था। जिसकी कोई चुनौती सक्षम सिविल न्यायालय में आज तक नहीं दी गई है। प्रार्थी का कोई कानूनन कब्जा नहीं है। इसलिए बिना कब्जा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। भूमि का नामान्तरण सं. 851 दिनांक 5-6-15 को अप्रार्थीया नं0 1 के नाम विधिवत रूप से भरा जाकर तस्दीक हो चुका है। उसके आधार पर खातेदारी अप्रार्थी नं0 1 के नाम आ चुकी है। अप्रार्थी सं 2 व 3 के नाम सैटलमेन्ट पुराने कब्जे के आधार पर विधिवत रूप से हुआ एवं सैटलमेन्ट के बाद खातेदारी उनके नाम होने की जानकारी सदैव से रही है। सैटलमेन्ट हुए एवं नामा0 भरे 40 साल से ऊपर हो चुके है। पहले खातेदारी अप्रार्थी 2 व 3 के नाम व उनके विक्रय करने के बाद अप्रार्थी नं0 1 के नाम खातेदारी आ गई इसलिये भी प्रार्थी को कोई विनाय दावा पैदा नहीं हुई है एवं न ही प्रार्थी किसी प्रकार की घोषणा कराने का अधिकारी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर वकुलाय उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने बताया कि भूमि ख0नं0 516/593 रकबा 1.86 ग्राम जायाहाला में स्थित है। वर्तमान में इसकी खातेदारी अप्रार्थीया नं0 1 कुनण देवी के नाम है। उक्त भूमि का पुराना ख0नं0 116/1 है। जो पूर्व में इसकी खातेदारी फूला किशना पुत्रगण रूडा माली के नाम दर्ज थी। एवं मुला पुत्र छोटू माली के नाम थी। जो 2012 से 2032 तक के रिकार्ड मे थी लेकिन 2033 के रिकार्ड मे जाति के स्थान पर अपठित लिख दिया आगे जमाबंदी मे अपठित के स्थान पर हरिजन शब्द लिखकर रिकार्ड मे परिवर्तन किया है। फूला पुत्र रूडा किशना पुत्र रूडा हरिजन नाम का कोई व्यक्ति मावण्डा कलां मे नहीं है। उक्त भूमि से अप्रार्थी 1 ता 3 का कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। गिरदावरी प्रार्थीगण के नाम है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

रजिस्ट्री को भी सिविल न्यायालय में चुनौती दी गई है। सिविल न्यायालय में दावा कर रखा है। अप्रार्थी नं० 1 का कोई कब्जा काश्त नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावें।

दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने बताया कि विवादित भूमि की अप्रार्थीया नं० 1 रिकार्ड्स खातेदार है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र खरीद की है। प्रार्थी उक्त भूमि पर अपना कब्जा पूर्वजो के समय से बताकर आ रहे है परन्तु कब्जे बाबत कोई रिकार्ड पेश नही किया। ना ही प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार है। राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन नही हुआ है। विवादित भूमि के पुराने ख०नं० 1161, था जिसका रकबा काफी बडा था। उक्त भूमि पूर्व में अप्रार्थी नं० 2 व 3 के राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई थी जिसके पश्चात गैर खातेदारी दर्ज होकर बाद में खातेदारी दर्ज हुई थी। जिसकी प्रार्थीगण को शुरु से जानकारी थी। उक्त भूमि अप्रार्थीया द्वारा दिनांक 17-12-14 को जरिये विक्रय पत्र खरीद की है। खरीद के पश्चात अप्रार्थी नं० 1 के नाम नामा० भरा जाकर जमाबंदी में अंकन दर्ज हो चुका है। विवादित भूमि से प्रार्थीगण का कोई लेना देना नही है। दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने WLC P-240, DNJ 1997 S.C P-6 RRT 2016 (1) 113 RRD 2008 P762 RRT 2013 P123 RRT 2013 P133 RRD 1997 P-30 RRD 1920 P773 नजीर पेश करते हुए प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की इल्तजा की।

बहुजाय उभय पक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया एवं मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को देखना होता है कि क्या प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्ट्या मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु बनते है अथवा नही। जिनका विवेचन निम्न प्रकार है।

प्रथम दृष्ट्या मामला :- प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि विवादित भूमि की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम ना होकर अप्रार्थीया नं० 1 के नाम है। अप्रार्थीया नं० 1 ने उक्त भूमि अप्रार्थी नं० 2 व 3 से जरिये विक्रय पत्र खरीद की थी। प्रार्थीगण ने कब्जे के आधार पर खातेदारी लेने हेतु घोषणा का वाद पेश किया है एवं विवादित भूमि पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से कब्जा बताकर आ रहे है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड खसरा गिरदावरी पेश नही की है

(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना

जिससे विवादित भूमि पर कब्जे काश्त की पुष्टि होती हो एवं प्रार्थीगण का कब्जा साबित होता हो। प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय मे प्रस्तुत वाद की प्रमाणित आदेशिका की प्रति पेश की है जिससे कोई अधिकार प्राप्त नही होते एवं ना ही उक्त भूमि पर कोई स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। विवादित भूमि के पुराने ख०न० 1161, थे जो पूर्व मे अप्रार्थी न० 2 व 3 के राज्य सरकार द्वारा अलाट हुई थी। जिसका नामा० सर्वप्रथम 166 अप्रार्थी सं 2 व 3 के नाम स्वीकार हुआ था। जो प्रस्तुत नामा० की प्रति से साबित है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सं 2052 से 2055 ग्राम जाटावाला के अवलोकन से पाया गया कि भूमि ख०न० 1161 रकबा 1.868 की खातेदारी फूला लिछमण पि० रूडा कौम हरिजन सा० मावण्डा कलां के नाम दर्ज थी। एवं जमाबंदी सं 2069 से 2072 ग्राम जाटावाला के भूमि ख०न० 516/593 रकबा 1.86 की खातेदारी अप्रार्थी न० 2 व 3 के नाम दर्ज थी। अप्रार्थी न० 2 व 3 ने अपनी भूमि का बेचान अप्रार्थीया न० 1 को किया है। अप्रार्थीया उक्त भूमि की रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता। प्रार्थीगण विवादित भूमि के ना तो खातेदार है एवं ना ही अपना कब्जा साबित कर पाये है। प्रथम दृष्टया मामला देखने मे कब्जा होना आवश्यक है जो प्रस्तुत रिकार्ड से अप्रार्थीया न० 1 का होना पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य परिस्थितियो प्रस्तुत दस्तावेजात तथा दौराने सुनवाई विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क वितर्कों एवं प्रस्तुत नजीरो को ध्यान मे रखते हुए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे ना होकर अप्रार्थीया के पक्ष में होना पाया जाता है।

2. सुविधा का सन्तुलन :- जहाँ तक इस बिन्दु का प्रश्न है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की दशा मे ज्यादा असुविधा अप्रार्थीया न० 1 को होगी क्योकि अप्रार्थीया विवादित भूमि की रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण द्वारा वाद के जरिये घोषणा चाही गई है यदि वो मूल वाद में सफल हो जाते है तब प्रार्थीगण के पक्ष मे विवादित आराजी का स्वमेव स्वामित्व एवं आधिपत्य होगा। परन्तु प्रकरण की इस स्टेज पर सुविधा का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे ना होकर अप्रार्थीया न० 1 के पक्ष मे साबित होता है।

3. अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त :- जहाँ तक इस बिन्दु

(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना

-6..

का प्रश्न है प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने की दशा में प्रार्थीगण को कोई विधिक हानी नही होकर किसी अपूरणीय क्षति के कारित होने की सम्भावना नही है। क्योंकि विक्रय पत्र द्वारा बेचान होने की बात स्वयं प्रार्थीगण स्वीकार करते है एवं अपने प्रार्थना पत्र मे भी अंकन किया है। अप्रार्थीया न01 का कब्जा विक्रय पत्र से साबित होता है एवं अप्रार्थी न01 विवादित भूमि कि रिकार्ड खातेदार है। इसलिए प्रार्थीगण से ज्यादा अपूरणीय क्षति होने की सम्भावना अप्रार्थीया को है। यह बिन्दु भी प्रार्थीगण प्रमाणित करने में असफल रहे है।

इस प्रकार प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु साबित करने में असफल रहे हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारीज किया जाता है।

(जगदीश प्रसाद गौड)
(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना

निर्णय आज दिनांक 19-4-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड)
(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना

नीमकाथाना (सीकर)